न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 06 / 2025

अनवान : –

1. श्योकत अली पुत्र सुलेमान जाति व्यापारी मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री संजय जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 27/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 195 / 180 की कुल 20.6770 हैक्ट भूमि में से 4598 / 103385 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोहने खां पुत्र सुलेमान दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम श्योकत अली पुत्र सुलेमान है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सोहने खां पुत्र सुलेमान के स्थान पर श्योकत अली पुत्र सुलेमान दर्ज कर संशोधित किया जावे।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोहने खां पुत्र सुलेमान दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम श्योकत अली पुत्र सुलेमान है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सोहने खां पुत्र सुलेमान के स्थान पर श्योकत अली पुत्र सुलेमान दर्ज कर संशोधित किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 195/180 की कुल 20.6770 हैक्ट भूमि में से 4598/103385 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोहने खां पुत्र सुलेमान है एवं प्रार्थी द्वारा सोहने खां पुत्र सुलेमान के स्थान पर श्योकत अली पुत्र सुलेमान दर्ज करवाना चाहता है तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी का नाम सोहने खां पुत्र सुलेमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश के द्वारा दर्ज हुआ है अत प्रार्थी पुन इसी न्यायालय से अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर